प्रेषक,

मण्डलीय अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल पौडी

सेवा में,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

पत्रांक/सेवा0अराज0/3856-60/3क(2)/अनि.स्था./2022–23 दिनांक 06-07-2022

विषयः– **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2022–23 में स्थानान्तरण हेतु पात्र सहायक अध्यापक एल0टी0 की पात्रता सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या/124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08.04.2022 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाये–2/1069–75/स्थानान्तरण/2022–22 दिनांक 18 अप्रैल 2022 के द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2022–23 के दौरान **"उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017" के अनुसार स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी निर्धारित की गयी है।**

उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत **सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम (सामान्य/महिला शाखा)** श्रेणी के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु 15 प्रतिशत पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं की सूची एवं संभावित रिक्तियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु ई–मेल एवं हार्ड कॉपी में संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

6/7/22

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौडी।

पृ0सं0/सेवा0अराज0/ /3क(2)/अनि.स्था./2022–23 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि वार्षिक स्थानान्तरण 2022–23 हेतु गढ़वाल मण्डलान्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. कार्यालय पत्रावली हेतु।

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौडी।